प्रेषक,

संख्या– 01/44–1–2014–86/2010

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक
विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2014

विषयः– सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में महिला सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश, दिनांक 24.03.2009 एवं दिनांक 08 दिसम्बर,2008 के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या–809/44–1–2010–86/2010, दिनांक 23 अगस्त,2010 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति की सुविधा कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी थी। इस संबंध में वित्त (सामान्य)अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी–2–176/दस– 2011–216–79, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 द्वारा कतिपय शर्तो में किये गये संशोधन को सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों की महिला सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश हेतु निर्गत सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश, दिनांक 23.08.2010 के कम में निम्नलिखित शर्तो के अनुसार प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1.) संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा ।

(2.) बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा ।

(3.) बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जायेगा ।

(4.) बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहॉ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रुप से संतुष्ट न हो । इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम–से–कम हो ।

(5.) बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा ।

यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 23 अगस्त,2010 के शासनादेश जारी होने के पश्चात बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा ।

2. उपर्युक्त शासनादेश संख्या–809/44–1–2010–86/2010, दिनांक 23 अगस्त,,2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 01 /44–1–2014–86/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त(सामान्य) अनुभाग– 2 ।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट हेतु।
5. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(मुरारी लाल)
अनु सचिव।

संख्या: जी–2–176/दस–2011–216–79

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 11 अप्रैल, 2011

विषय :–महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–2–2017/दस–2008–216–79, दिनांक 08–12–2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या जी–2–573/दस–2009–216–79, दिनांक 24–3–2009 द्वारा प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों को केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों की भांति बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी। चूंकि भारत सरकार द्वारा उक्त शर्तों में कतिपय संशोधन किए गए हैं अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों को निम्नवत् संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)– संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।

(2)– बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।

(3)– बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जायेगा।

(4)– बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम–से–कम हो।

(5)– बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।

2– यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08–12–2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात्, बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।

3– शासनादेश संख्या जी–2–2017/दस–2008–216–79, दिनांक 08–12–2008 तथा शासनादेश संख्या जी–2–573/दस–2009–216–79 दिनांक 24–03–2009 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4– संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–जी–2–176(1)/दस–2011–216–79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
बी के सिंह
(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 12 सा0 वित्त–18–4–2011–(136)–3,000-2 प्रतियां (ऑफसेट)।